(3)

माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर [छत्तीसगढ़]

रिट याचिका क्रं. 1993 /२००२

याचिकाकर्ता :- मोहितराम आगरे उम्र ३४ वर्ष पिता गणेशराम
निवासी ग्राम तेलसरी पो. चकरभाटा [कोम्मा]
तहसील - बिल्हा जिला - बिलासपुर [छ.ग.]

P.R. No. 1863/02
Presented by Rahul R.K. Chatterjee
dated 9.8.02

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :- [१] छत्तीसगढ़ शासन वास्ते मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, सचिवालय रायपुर (छ.ग.)

[२] श्री एच.पी. किन्डो अतिरिक्त कलेक्टर
जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद २२६/२२७ भारतीय संविधान

(22)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR

W.P. No.1993/2002

Shri Mohitram Aagre Vs. State of C.G. & Ors.

ORDER

Post for : 1-10-2002

Sd/-
Fakhruddin
Judge

(23)

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर //छत्तीसगढ़//

रिट याचिका कमांक – 1993/2002

मोहितराम आगरे

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन व अन्य

आदेश

याचिकाकर्ता की ओर से श्री गोंपाल प्रसाद कोशिक, अधिवक्ता ।

शासन की ओर से श्री संजय अग्रवाल, उप–महाधिवक्ता एवं श्री रणबीर सिंह, शासकीय अधिवक्ता ।

तर्क श्रवण किये गये।

अन्तवर्तिय आवेदन कमांक – 6525/2002 वास्ते शीघ्र सुनवाई सुना गया किसी को आपत्ती नहीं ।

स्वीकृत ।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने याचिका अंर्तगत अनुच्छेद 226/227 भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि एक वर्ष पहले याचिका पर अन्तिम बहस सुनी जा चुकी थी परन्तु आदेश पारित नही किया गया और यह भी निवेदन किया है कि पंचायत चुनाव याचिका अर्न्तगत धारा 122 पंचायत राज अधिनियम 1993 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर उत्तरवादी कं–2 प्रकरण कं – 4–स–144/99–2000 मोहितराम विरूद्ध त्रियुगीनारायण व अन्य 9 मे दिनांक 26.9.2001 को

(24)

अन्तिम तर्क पश्चात् दिनांक 8.10.2001 को आदेश हेतु नीयत था परन्तु आज दिनांक तक आदेश पारित नही किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि चुनाव याचिका की सुनवाई एवं निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये।

उपरोक्त परिस्थितियों में जिनमें प्रकरण अंतिम तर्क 26–09–2001 को किए जा चुके हो एंव प्रकरण 08–10–2001 को नियत था , पीठासीन अधिकारी का ये कर्तव्य था कि उक्त दिनांक को आदेश पारित करें, जबतक कि ऐसा न करने के युक्तियुक्त एंव पर्याप्त कारण न हो । पंचायत राज अधिनियम के अंर्तगत अनेकों याचिका प्रस्तुत की जाती है अतः पीठासीन अधिकारियों को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । उत्तरवादी क–1 इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिये सक्षम हैं और यह शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये।

जहां तक वर्तमान प्रकरण का प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को विचार करके, यह आदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय इस आदेश की एक सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर याचिका का निर्णय करें और निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ को प्रेषित करें ।

इस आधार पर यह याचिका का अन्तिम निराकरण किया जाता है ।

उक्त आदेश के अनुसार अन्तवर्तिय आवेदन कमांक – 6525/2002 वास्ते शीघ्र सुनवाई का निराकरण किया जाता है ।

छाया प्रति शासन को ।

सत्य प्रतिलिपि ।

Sd/-
Fakhruddin
Judge

न्यायमूर्ति
–11–2002